समक्षः– समिति (न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत में कर्मचारीगण की नियुक्ति हेतु)/विशेष न्यायाधीश अनन्य पॉक्सो एक्ट, पीलीभीत।

कार्यवृत्त/विज्ञप्ति

दिनांकः– 03.07.2024

मा0 जनपद न्यायाधीश, द्वारा पारित आदेश सं0 309/2022 दिनांकित 01.07.2024 के द्वारा जनपद न्यायालय, पीलीभीत में न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत में रीडर, अहलमद एवं चपरासी के पदों पर नियुक्ति हेतु गठित समिति की एक बैठक आज दिनांक 03.07.2024 को अध्यक्ष, समिति/विशेष न्यायाधीश अनन्य पॉक्सो एक्ट, पीलीभीत के विश्राम कक्ष में आयोजित की गयी जिसमें निम्न सदस्य अधिकारीगण ने प्रतिभाग कियाः–

1. श्री आनन्द कुमार ।।, सदस्य, समिति/सिविल जज (प्रवर खण्ड)/त्वरित न्यायालय, पीलीभीत।
2. सुश्री सौम्या भारद्वाज, सदस्या, समिति/सिविल जज (अवर खण्ड), पीलीभीत।

उपरोक्त बैठक में समिति द्वारा जनपद न्यायालय, पीलीभीत में न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत में रीडर, अहलमद एवं चपरासी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी किये जाने के लिये **शासनादेश सं0– 1183/सात–न्याय–2–2023–201जी/ 95 टी0सी0 दिनांकित 14.01.2023 सपठित 3094/ सात–न्याय–2–2011–201जी/ 95 टी0सी0 दिनांकित 05.02.1997 सपठित शासनादेश सं0–1086/ सात–न्याय–2–2011–201जी/95 टी0सी0 दिनांकित 26.07.2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0– 25/मेन 'ए'/जे0आर0 (आई0) दिनांकित 01.09.2004** का अवलोकन किया गया ।

उपरोक्त शासनादेशों तथा परिपत्र के अनुसार न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत में रीडर, अहलमद के पदों पर रखे जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को शासनादेश सं0– **1183/ सात–न्याय–2–2023–201जी/ 95 टी0सी0 दिनांकित 14.01.2023** में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मु0 6750/– रूपये मासिक मानदेय भुगतान किया जायेगा। न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत में रीडर, अहलमद के पदों पर कार्य करने के लिये दीवानी न्यायालय एवं कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त तृतीय संवर्ग कर्मचारीगण से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत में चपरासी के पद पर रखे जाने वाले कर्मचारी को शासनादेश सं0–**1183/ सात–न्याय–2–2023–201जी/ 95 टी0सी0 दिनांकित 14.01.2023** में दिये गये प्राविधानों के अनुसार 150/– रूपये प्रति कार्यदिवस की दर से मजदूरी देय होगी। चपरासी को हिन्दी भाषा का लिखने पढ़ने का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत में चपरासी का कार्य करने के लिये स्वस्थ नागरिकों से जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो व उन्हें हिन्दी भाषा का लिखने पढ़ने का ज्ञान हो, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0– 25/मेन 'ए'/जे0आर0 (आई0) दिनांकित 01.09.2004 के अनुसार उक्त न्यायालय में नियुक्त कर्मचारीगण 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही अपनी सेवायें प्रदान कर सकते है।

समस्त आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13.07.2024 है।

केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, पीलीभीत इस विज्ञप्ति की एक प्रति सूचनार्थ नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये तथा एक–एक प्रति जिलाधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड व तहसील सदर, पीलीभीत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु भी प्रेषित करें।

विज्ञप्ति जनपद न्यायालय, पीलीभीत की सरकारी वेबसाइट पर भी प्रचारित हो तथा विज्ञप्ति की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित हो कि वह दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क उक्त विज्ञप्ति को प्रचारित करायें।

(सौम्या भारद्वाज)	(आनन्द कुमार ।।) 03/07/24	Shiva Pandey 3.7.24 (शिवा पाण्डेय)
सदस्या–समिति/	सदस्य–समिति/	अध्यक्ष–समिति/
सिविल जज (अवर खण्ड)	सिविल जज (प्रवर खण्ड)/त्वरित न्यायालय	विशेष न्यायाधीश अनन्य पॉक्सो एक्ट,
पीलीभीत	पीलीभीत	पीलीभीत
03.07.2024	03.07.2024	03.07.2024